184/2016
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 184/2016 अनवानी श्री दिनेशकुमार पुत्र श्री रामकुमार निवासी 4 एलएल (ढींगावाली राठान) पोस्ट 2 एलएल (धालेवाला) तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03—01—2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री दिनेश कुमार उपस्थित है। उसके द्वारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 13.10.2016 के द्वारा जिला रसद अधिकारी से 5 बिन्दुओ की सूचना चाही गई थी। जिस पर जिला रसद अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 09.11.16 से बिन्दु सं0 1 व 4 की सूचना के लिए राशि जमा करवाने के लिए उसे लिखा था। उसके द्वारा राशि जमा करवाने के बावजूद भी उसे पूर्ण सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 13.10.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः—

> 1— यह कि ग्राम पंचायत 4 एलएल के राशन डिपो 1 अप्रेल 2016 से 30 सितम्बर 2016 तक खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहुं एवं केरोसीन कितना आवंटित किया गया की सूचना माहवार।
> 2— यह कि ग्राम पंचायत 4 एलएल के राशन डिपो का खाद्य सुरक्षा के तहत गेहूं एवं केरोसीन के वितरण की सूचना मय वितरण रजिस्टर—परिवार क्रम में। उपरोक्त अवधि
> 3— यह कि यदि कोई परिवार किसी माह में राशन या केरोसीन नही ले पाता है तो क्या उसको दिये जाने वाला राशन लेप्स हो जाता है या अगले माह में एक साथ ले सकता है यदि लेप्स हो जाता है तो क्या अगले माह उतना राशन डिपो को कम आवंटित होता है।
> 4— यह कि ग्राम पंचायत 4 एलएल के राशन डिपो से राशन प्राप्त करने वाले परिवारो की सूची।
> 5— यह किं ग्राम पंचायत 4 एलएल के डिपो पर राशन वितरण पर नियन्त्रण करने वाले सरकारी कार्मिक नियुक्त है या नही, यदि है तो उनका विवरण दे कि पिछले छः माह में कितनी बार निरीक्षण किया गया।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 7609 दिनांक 22.12.16 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 6745 दिनांक 09.11.16 से अपीलार्थी को वस्तुस्थिति से सूचित कर दिया था जो निम्नानुसार हैः—

> उक्त सूचना के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 व 4 की सूचना डीलर द्वारा दिये गये मासिक मानचित्र में उपलब्ध है जो निर्धारित फीस 2/— रूपये प्रति पेज की दर से 12/— रूपये के पोस्टल आर्डर इस कार्यालय में जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है। बिन्दु संख्या 2 की सूचना कार्यालय में उपलब्ध नही है। बिन्दू संख्या 3 में परिवार पिछले एक माह का गेहूं ले सकता है, लैप्स नही होता। बिन्दु संख्या 5 डिपू पर कोई सरकारी कार्मिक नियुक्त नही है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

184/2016
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.01.17 में प्रार्थना की है कि उसे बिन्दु सं0 1 व 4 की सूचना के लिए शुल्क जमा करवाने के लिए लोक सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांक 09.11.16 से सूचित किया। जिस पर उसने दिनांक 06.12.16 को निर्धारित शुल्क जमा करवा दी किन्तु जो सूचनांए दी गई है वो अपूर्ण दी गई है बिन्दु सं0 4 में उसने राशन प्राप्त करने वाले परिवारो की सूचि मांगी थी किन्तु सूचना संख्या में दी है और बिन्दु सं0 2 की सूचना पत्र क्रमांक 6745 दि0 09.11.16 में उपलब्ध नही होना बताया। बाद में आपको दिये गये जबाब में कहा कि प्रार्थी की सूचना तैयार थी वो लेने नही आया। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को सूचनाओ के संबंध में गुमराह करने की कोशिश की गई है।

चूंकि अपीलार्थी बिन्दु सं0 2 व 4 की सूचना चाहता है। इस संबंध में जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को निदेशित किया जाता है कि वे नियमानुसार बिन्दु सं0 2 व 4 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवावें।

उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

223-24
25-1-17

आदेश आज दिनांक 03.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर